प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
चम्पावत

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत

प्रशासनिक वाहन (निविदा फार्म मूल्य 590.00)

मार्ग का नाम– प्रशासनिक वाहन कार्यालय कार्य हेतु निविदा फॉर्म

1.निविदा दाता का नाम..

2.पिता/पति का नाम..

3.स्थाई पता..

4.पत्र व्यवहार का पता..

5.आधार नम्बर..(आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)

6.पैन कार्ड न0..(पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)

7.जमा अर्नेस्टमनी का विवरण:–

(अ)नगद रसीद संख्या.............(ब) दिनांक....................(स) धनराशि (रू0).................

(द)बैंक का नाम..डाफ्ट संख्या..

8.वाहन का विवरण:–

(क) वाहन का प्रकार..(ख)मॉडल वर्ष..............................

(ग) वाहन का पंजीकरण न0..................................(घ)बीमे की वैधता तिथि.................

(ड़) रोड टैक्स जमा की वैधता तिथि..

(च) गाड़ी की ढुलान क्षमता लीटर–

(छ) **किराया प्रति दिन...डीजल/पेट्रोल प्रति ली0/प्रति किमी0.................................**

प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों, शर्तो, मार्ग की अनुमानित दूरी एवं संस्था द्वारा मार्गवार निर्धारित अधिकतम दरों को भली भांति पढ़ एवं समझ लिया है। मैं निविदा की शर्तो एवं निर्देशों के अनुसार अपना वाहन चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत में लगाने तथा अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ। उक्त प्रविर्शिटियॉ मैने स्वंय भरी/भरवाई है और मेरी जानकारी पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पाई जाती हैं तो संस्था को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा स्वीकृत हो जाने पर संस्था द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुबन्ध की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करूंगा तथा संस्था द्वारा निर्धारित जमानत राशि संस्था कार्यालय में जमा कर दूंगा। अन्यथा मेरी अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जाये।

दिनांक–
स्थान–
मोबाइल नम्बर–

हस्ताक्षर निविदादाता–
नाम–
पूरा पता–

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

प्रशासन
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी पी० एण्ड आई०
दुग्ध संघ, चम्पावत

प्रभारी वित/लेखा
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

प्रभारी कारखाना
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

Scanned with CamScanner

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

कार्यालय ,चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत

प्रशासनिक वाहन निविदा फार्म भरने हेतु दिशानिर्देश एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व प्रपत्र में दिये गये आवश्यक दिशानिर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर ही साफ एवं शुद्ध भाषा में भरें।
2. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
3. प्राप्त निविदा में 02 अथवा 02 से अधिक निविदायें समान दर की प्राप्त होने पर वर्तमान मार्डल के वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. एक वाहन के प्रपत्र से एक ही मार्ग की निविदा स्वीकृत होगी। यदि दो मार्ग मे एक ही वाहन की निविदा न्यून पायी जायी जाती है तो दोनो मार्गो मे न्यूनतम दर मार्ग को स्वीकृत किया जायेगा तथा द्वितीय मार्ग की अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
5. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **परिवहन हेतु निविदा मार्ग/प्रकार का नाम एवं निविदादाता का नाम** व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
6. निविदा फार्म में स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
7. निविदायें **प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत जूप पटवा चम्पावत**, के नाम से निविदा पेटी में दिनॉक 28 मई 2026 को निविदायें 12:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी, जो कि उपरोक्तानुसार अपराह्न 2 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय चम्पावत में खोली जायेंगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त संबन्धित समस्त मार्गों की निविदायें दिनॉक 28 मई 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय चम्पावत के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. प्रशासनिक वाहन हेतु वाहन का मॉडल वर्ष 2020 से कम नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी दशा में होना अनिवार्य है।
9. निविदा फार्म के साथ निविदादाता का आधार, पैन कार्ड, वाहन की आर0सी0, बीमा, परमिट एवं फिटनेस व टैक्स आदि के वैध प्रपत्र, संलग्न होने चाहिये अन्यथा निविदा फार्म निरस्त कर दी जायेगा।
10. वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। पावर ऑफ अर्टनी मान्य नहीं होगी।
11. निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म में उल्लेखित वाहन का विवरण के अनुसार वैध दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं वाहन हेतु **रू0 5,000.00 (पॉच हजार रूपया)** बतौर अर्नेस्ट मनी की जमा रसीद की मूल प्रति/छायाप्रति या डी0डी जो इस संस्था के नाम देय हो मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्नस्टमनी निविदा पूर्ण होने अथवा एक माह उपरान्त ही प्रदान की जायेगी।
12. यदि वाहन का माडल वर्ष में **(A/F)** अंकित किया जाता है, तो ऐसी निविदादाता को वाहन क्रय रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. एक अर्नेस्ट मनी से एक निविदा ही भरी जायेगी। एक अर्नेस्ट मनी राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
14. दुग्ध संघ से पूर्व मे किसी प्रकार से विवाद करने वाले, अथवा दुग्ध संघ की छवि धूमिल करने वाले, चोरी मे पकडे गये अथवा अन्य किसी प्रकार से विवादित अथवा दुग्ध संघ कर्मी से मारपीट/गाली गलौच अथवा अन्य किसी प्रकार के विवादित अथवा अनुचित चरित्र वाले निविदा दाता का निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
15. वर्तमान या पूर्व में कार्यरत परिवहनकर्ताओं को संस्था के वित्त/उपार्जन/विपणन अनुभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिनॉक 31 मार्च 2026 तक संस्था की किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि होने अथवा विवादित होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. पूर्व परिवहनकर्ता द्वारा अपने अनुभागाध्यक्ष एवं प्रभारी यातायात से संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

प्रशासन
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी वित्त/लेखा
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

प्रभारी पी0 एण्ड आई0
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी कारखाना
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ

Scanned with CamScanner

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
चम्पावत

17. प्रशासनिक वाहन हेतु वाहन का किराया अधिकतम 900 रूपये प्रति दिन एवं डीजल 10 किमी० पर 01 ली० व पैट्रोल वाहन पर 12 किमी० पर 01 लीटर देय होगा।
18. वाहन को कार्यालय परिसर में प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक उपलब्ध कराना होगा।
19. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, बिना कारण बताये संस्था के प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।
20. प्रत्येक वाहन के लिये चालक की व्यवस्था निविदाता को करनी होगी तथा पूर्ण उसका विवरण संस्था में लिखित देना होगा। चालक को बदलने पर उसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देनी होगी।
21. निविदा फार्म में दरों में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, कटिंग, होने पर दरें पुनः स्पष्ट रूप में हस्ताक्षर सहित लिखी होनी आवश्यक है।
22. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी तथा जगानत राशि के रूप में दुग्ध ढुलान कार्यो हेतु वाहन को 20,000.00 (बीस हजार) जमानत राशि जमा करनी होगी।
23. निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ रू0 100.00 (एक सौ) मूल्य के नान–जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
24. अनुबन्ध समाप्त तिथि से यदि संस्था चाहे तो अधिकतम तीन–तीन माह हेतु दो बार अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसे निविदा दाता मानने के लिये बाध्य होगा, अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
25. मार्गो पर लगने वाले समस्त करों जैसे पथ कर, सेतु कर, टौलटेक्स आदि का भुगतान परिवहन कर्ता द्वारा किया जायेगा।
26. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्रिक सदस्य (हिस्सा पूंजी 200.00 रू0 तथा प्रवेश शुल्क 25.00 रू0 कुल 225.00 रू0 जमाकर) सदस्य बनना होगा।
27. निविदादाता को परिवहन बिल के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।
28. संस्था के बकायेदारों की निविदा स्वीकार नही की जायेगी और नही उनके वाहन के प्रपत्रों पर अन्य व्यक्ति की निविदा मान्य होगी।
29. वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा, उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नही करने होगें।
30. दैवीय आपदा/दुर्धटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नही होगा।
31. वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्थ होने/अन्य किसी कारण से व्ययधान होने पर निविदादाता को ही वाहन की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा वाहन व्यवस्था न करने पर निविदादाता की जमानत राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा वाहन व्यवस्था कर ली जायेगी एवं अतिरिक्त व्ययभार का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
32. माह की समाप्ति होने पर परिवहनकर्ता को अधिकतम बीस दिन के अन्दर बिल संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।अत्यधिक विलम्ब एवं एक साथ कई माहों का बिल प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिये परिवहनकर्ता का उत्तदायित्व होगा।
33. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्ध का उल्लघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत को परिवहनकर्ता से संपूर्ण क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होगा।
34. निविदाओं का निस्तारण **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017** के अधीन होगी।
35. निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनैन्शियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जाये तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

प्रभारी स्टोर/कारखाना
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
चम्पावत

प्रशासन
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी
दुग्ध उत्पादक

प्रभारी वित्त/लेखा
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
चम्पावत

प्रभारी पी० एण्ड आई०
दुग्ध संघ, चम्पावत

Scanned with CamScanner

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

नोट–उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 35 तक की शर्तें पढ़कर एवं समझकर चम्पावत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

उक्त शर्तों को मैंने भली–भांति पढ़ एवं समझ लिया है, मैं सभी शर्तों को समझने के पश्चात् ही निविदा डाल रहा हूँ, जो कि मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर
निविदादाता

प्रभारी स्टोर/यातायात
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

प्रशासन
दुग्ध संघ चम्पावत

प्रभारी पी0 एण्ड आई0
दुग्ध संघ, चम्पावत

प्रभारी वित्त/लेखा
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

प्रभारी कारखाना
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

Scanned with CamScanner